संख्याः /XVII-3/12-02(बजट)/2010

(66)

प्रेषक,

बी0आर0 टम्टा,
अपर सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
समाज कल्याण उत्तराखण्ड,
हल्द्वानी–नैनीताल।

समाज कल्याण अनुभाग–3 देहरादूनः दिनांकः 06 फरवरी, 2012

विषयः **चालू वित्तीय वर्ष 2011–12 में अन्य पिछडा वर्ग आयोग के गठन की विभिन्न मदों में पुनर्विनियोग के माध्यम से वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपर्युक्त आपके पत्र संख्याः–3172/स0क0/लेखा–बजट/पुर्न0–प्रस्ताव/2011–12 दिनांक 19 दिसम्बर, 2011 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्यपाल महोदय चालू वित्तीय वर्ष 2011–12 के लिए उत्तराखण्ड अन्य पिछडा वर्ग आयोग के गठन के **आयोजनेत्तर पक्ष** विभिन्न मदों में संलग्न बी0एम0–15 प्रपत्र के अनुसार पुनर्विनियोग के माध्यम से **र 8,90,000/– (र आठ लाख नब्बे हजार मात्र)** की धनराशि को निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन व्यय करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैंः–

1. आय–व्ययक द्वारा व्यवस्थित उक्त धनराशि में से केवल स्वीकृत चालू योजनाओं पर ही व्यय किया जाए और किसी भी दशा में उक्त धनराशि का उपयोग नए कार्यों के कार्यान्वयन के लिए नहीं किया जाए।
2. उक्त आवंटित धनराशि किसी ऐसी मद पर व्यय करने से पूर्व वित्तीय हस्त पुस्तिका एवं बजट मैनुअल के अनुसार शासन या अन्य सक्षम अधिकारी की पूर्व स्वीकृति, यदि आवश्यक हो तो, ऐसा व्यय अपेक्षित स्वीकृति प्राप्त करके ही किया जाए।
3. उक्त धनराशि का व्यय मितव्ययता को दृष्टिगत रखते हुए नियमानुसार अनुमन्यता के आधार पर किया जायेगा तथा स्वीकृत धनराशि का व्यय नई मदों में कदापि नहीं किया जायेगा। व्यय उन्ही मदों में किया जायेगा, जिनके लिए यह स्वीकृत किया जा रहा है।
4. अप्रयुक्त धनराशि को वित्तीय हस्त पुस्तिका एवं बजट मैनुअल के अंतर्गत समय सारणी के अनुसार समर्पित किया जाना सुनिश्चित किया जाए।
5. स्वीकृत की जा रही धनराशि की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति विवरण तथा धनराशि का उपयोगिता प्रमाण–पत्र समयान्तर्गत शासना को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाए।
6. स्वीकृत धनराशि से अधिक धनराशि का व्यय कदापि न किया जाए।
7. स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्त पुंस्तिका एवं बजट मैनुअल में उल्लिखित प्राविधानों एवं मितव्ययता के सम्बन्ध में शासन द्वारा समय–समय पर निर्गत आदेशों के अन्तर्गत किया जाना सुनिश्चित किया जाए।
8. इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2011–12 के आय–व्यय के अनुदान संख्या–15 के **आयोजनेत्तर पक्ष** के लेखाशीर्षक–2225–अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछडे वर्गो का कल्याण, 03–पिछडे वर्गो का कल्याण, 001–निदेशक तथा प्रशासन, 04–उत्तराखण्ड अन्य पिछडा वर्ग का आयोग का गठन के संलग्न प्रारूप बी0एम0–15 के कॉलम–5 के सुसंगत मानक मद के नामे डाले जायेगा तथा पुनर्विनियोग कॉलम–1 की बचतों से वहन किया जायेगा।
9. यह आदेश वित्त विभाग की अशासकीय संख्याः 295 (NP)/XXVII(3)/2011-12 दिनांक 03 फरवरी, 2012 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे है।

संलग्नकः यथोपरि।

भवदीय,

(बी0आर0 टम्टा)
अपर सचिव।

पृष्ठांकन संख्याः 19 (1)/XVII-3/12-02(बजट)/2010 तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
2. निजी सचिव–मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
3. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
4. मण्डलायुक्त, गढ़वाल/कुमाऊँ उत्तराखण्ड।
5. जिलाधिकारी, देहरादून उत्तराखण्ड।
6. निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवाऐं, उत्तराखण्ड, देहरादून।
7. वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, नैनीताल/देहरादून, उत्तराखण्ड।
8. सचिव, अन्य पिछडा वर्ग आयोग, उत्तराखण्ड देहरादून।
9. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग–03, उत्तराखण्ड शासन।
10. बजट, राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन निदेशालय, उत्तराखण्ड सचिवालय परिसर, देहरादून।
13. समाज कल्याण नियोजन प्रकोष्ठ, सचिवालय परिसर, देहरादून।
14. राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र, उत्तराखण्ड सचिवालय परिसर, देहरादून।
15. आदेश पंजिका।

आज्ञा से,

(आर0के0 चौहान)
अनु सचिव।

बी0एम0–15
(पैरा–158)

नियंत्रक अधिकारीः प्रमुख सचिव, समाज कल्याण, उत्तराखण्ड शासन।

वित्तीय वर्ष 2011–12
प्र0 विभागः समाज कल्याण विभाग
(धनराशि हजार रुपये में)

बजट प्राविधानित लेखाशीर्षक का विवरण	मनक मदवार अद्यावधिक व्यय	वित्तीय वर्ष के शेष अवधि में अनुमानित व्यय	अवशेष (सरप्लस धनराशि)	लेखाशीर्षक जिसमें धनराशि स्थानान्तरित की जानी है		पुनर्विनियोग के बाद स्तम्भ–5 की कुल धनराशि	पुनर्विनियोग के बाद कॉलम–1 में अवशेष धनराशि (1–5)	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5		6	7	8
अनुदान संख्या–15 आयोजनेत्तर				अनुदान संख्या–15 आयोजनेत्तर				
2225–अनुसूचित जातियों अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछडा वर्गो का कल्याण 03–पिछडे वर्गो का कल्याण, 001–निदेशक तथा प्रशासन, 04–उत्तराखण्ड अन्य पिछडा वर्ग का आयोग का गठन।				2225–अनुसूचित जातियों अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछडा वर्गो का कल्याण 03–पिछडे वर्गो का कल्याण, 001–निदेशक तथा प्रशासन, 04–उत्तराखण्ड अन्य पिछडा वर्ग का आयोग का गठन।				(क) अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग अधिष्ठान के अन्तर्गत कालम–1 में अंकित विभिन्न मानक मदों में धनराशि के बचत होने की सम्भावना है। (ख) अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग अधिष्ठान के अन्तर्गत मा0 सदस्यों तथा कर्मचारियों हेतु मानक मद 01–वेतन, मा0 अध्यक्ष/उपाध्यक्ष के लिए 07–मानदेय व 13–टेलीफोन तथा महानुभावों के प्रयोगार्थ 03 टैक्सी हेतु, 16–व्यावसायिक सेवाओं के लिए भुगतान मद में प्राविधानित धनराशि कम होने के कारण अतिरिक्त धनराशि की आवश्यकता है। अतः कालम–5 में अंकित मानक मदों में पुनर्विनियोग के माध्यम से धनराशि की स्वीकृति आवश्यक है।
03–महगाई भत्ता,	780	347	173	290	01–वेतन	40	1340	490
04–यात्रा व्यय,	100	0	65	35	07–मानदेय,	55	555	65
05–स्थानान्तरण यात्रा व्यय,	10	0	0	10	13–टेलीफोन पर व्यय,	10	70	0
12–कार्यालय फर्नीचर,	50	0	0	50	16–व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान,	785	1685	0
15–गाडियों का अनुरक्षण,	400	23	27	350				0
18–प्रकाशन	50	24	1	25		890	3650	0
19–विज्ञापन,	50	22	3	25				50
27–चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति,	50	10	10	30				25
45–अवकाश यात्रा व्यय,	25	0	0	25				25
48–कम्प्यूटर हार्ड वेयर,	50	0	0	50				20
								0
								0
								0
योग	1565	396	279	890	योग	890	3650	675

(रुपये आठ लाख नब्बे हजार मात्र)

प्रमाणित किया जाता है कि पुनर्विनियोग से बजट मैनुअल के परिच्छेद 150, 151, 155 में उल्लिखित प्राविधानों का उल्लंघन नहीं होता है।

(आर0के0 चौहान)
अनु सचिव, समाज कल्याण विभाग
उत्तराखण्ड शासन।

उत्तराखण्ड शासन
वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग–03
संख्याः 295 (NP)(i)/XXVII(3)/2011–12
देहरादूनः 03 फरवरी, 2012

सेवा में,
महालेखाकार,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

पुनर्विनियोग स्वीकृत
(आर0सी0 अग्रवाल)
अपर सचिव, उत्तराखण्ड शासन।

पृष्ठांकन संख्याः– 19 /XVII-3/12–02(बजट)/2010
प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
1. निदेशक, समाज कल्याण उत्तराखण्ड हल्द्वानी–नैनीताल।
2. निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवायें, उत्तराखण्ड, देहरादून।
3. वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून/हल्द्वानी उत्तराखण्ड।
4. आदेश पंजिका।

आज्ञा से,
(आर0के0 चौहान)
अनु सचिव, समाज कल्याण विभाग
उत्तराखण्ड शासन।